

सं० 2/8(13)/76-बिज्ञा(3)

प्रेषक

प्रभाकरा बुवा
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
नई दिल्ली।

बिज्ञा(3) अनुभाग

तबनाउ दिनांक 14 दिसम्बर, 1976

विषय :- " आपरित नही " प्रमाण-पत्र

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यदि कान्सेंट आफ जेसेस एण्ड मेसेज, वेवरले, मुसुरी को यदि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से सम्बन्धिता प्रदान की जाती है तो इसमें प्रदेशीय शासन को कोई आपरित नही होगा।

भवोय,

(प्रभाकरा बुवा)
उप सचिव

संख्या 2/8(13)/76-बिज्ञा(3)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उ०प्र०, विधिर कार्यालय, तबनाउ को उनके पत्र संख्या ~~...~~ १-१-१२१७ दिनांक 28 नवम्बर, 1976 के संदर्भ में।
- 2- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- मन्त्रालय उपबिज्ञा निदेशक, ~~...~~ में रह।
- 4- जिला विद्यालय निरीक्षक, देहरादून।
- 5- निरीक्षक, अरुण भारतीय विद्यालय, नैनेताल।
- 6- शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद।
- 7- सम्बन्धित कार्यालय।

आज्ञाते,

प्रभाकरा बुवा

(प्रभाकरा बुवा)
उप सचिव।

Shyma ji Principal
Convent of Jesus & Mary
Waverley, Mussoorie, U.K.